## मांग संख्या 06

## मुख्य शीर्ष 2052

**मद कमांक 1**

राज्य शासन व्दारा संचालनालय वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली से संबंधित व्यावसायिक सेवाओं हेतु एन.आई.पी.एफ.पी. को भुगतान करने का निर्णय लिया गया है । इस पर रूपये 7.00 लाख का व्यय अनुमानित है ।

अत: इस प्रयोजन की पूर्ति हेतु रूपये 7,00,000 की अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता होगी ।

## मुख्य शीर्ष 2054

**मद कमांक 2-4**

राज्य शासन व्दारा लेखा प्रशिक्षण शाखा में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्यरत कर्मचारियों के मजदूरी का भुगतान हेतु रूपये 0.05 लाख तथा फर्निचर एवं कार्यालय उपकरण तथा पुस्तके,पत्रिका हेतु प्रतीक प्रावधान करने का निर्णय लिया गया है ।

अत: इस प्रयोजन के लिए रूपये 5,200 का अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद कमाक 5-12**

राज्य शासन द्वारा संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन के अंतर्गत संचालित योजना निर्देशन एवं प्रशासन में अन्य बिजली एवं जल प्रभार तथा मंहगाई वेतन, अधिकारी एवं कर्मचारियों का प्रशिक्षण, अन्य प्रशिक्षण तथा विज्ञापन एवं प्रचार हेतु प्रतीक प्रावधान तथा बिजली एवं जल प्रभार में कमशः 1.55 लाख का निर्णय लिया गया है । मंहगाई वेतन का भुगतान विभागीय बचत से किया जावेगा । इसके अतिरिक्त परीक्षक मानदेय में रूपये 30 हजार तथा वाहन अनुरक्षण कार्य में रूपये 60 हजार तथा बदलाव योजनान्तर्गत वाहन के कय हेतु रूपये4.00 लाख का प्रावधान किया जा रहा है ।

अत: इस प्रयोजन की पूर्ति हेतु राशि रूपये 6,45,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद कमांक 13-15**

राज्य शासन द्वारा संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन के अंतर्गत संचालित योजना संभागीय स्थापना में दैनिक वेतनभोगी तथा अनुरक्षण कार्य तथा नियमित कार्यभारित स्थापना हेतु कमशः 1.05 लाख 0.90 लाख तथा 1.19 लाख के अतिरिक्त राशि के व्यय की संभावना है।

अत: इस प्रयोजन हेतु रूपये 3,14,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद कमांक 16-18**

राज्य शासन द्वारा संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन के अंतर्गत संचालित योजना खजाना स्थापना से संबंधित लेखन सामग्री तथा अन्य आकस्मिक व्यय मद में अतिरिक्त राशि की पूर्ति हेतु कमशः 1.50 लाख एवं 1.00 लाख तथा दैनिक वेतनभोगियों के भुगतान हेतु 5.49 लाख के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति का निर्णय लिया गया है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु रूपये 7,99,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद कमांक 19-20**

राज्य शासन द्वारा स्थानीय निधि संपरीक्षा के अंतर्गत सीधी भर्ती हेतु आयोजित की जाने वाली परीक्षा से संबंधित मानदेय एवं परीक्षा व्यय हेतु कमशः रूपये 7.00 लाख तथा 18.00 लाख के प्रावधान का निर्णय लिया है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु रूपये 25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

## मुख्य शीर्ष 2070

**मद कमांक 21**

माह जून 2005 से राज्य शासन के नगद व्यवहारों पर केन्द्र शासन द्वारा लागू 0.1 प्रतिशत बैंकिंग कैश ट्रान्जेक्शन टेक्स के भुगतान हेतु रूपये 50.00 लाख का व्यय अनुमानित है । यह एक नवीन व्यय का मद है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु रूपये 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

## मुख्य शीर्ष-2885

**मद कमांक 22**

राज्य शासन द्वारा अधोसरंचना विकास निगम को रूपये 40.00 लाख के स्थापना अनुदान दिये जाने का निर्णय लिया गया है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 40,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।